

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4327/2026

Govind S/o Jyoti, Aged About 18 Years, Resident Of Saliya
Dungari, Police Thana Sadar, District Banswara. (Presently
Lodged At District Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Kaluram Ninama S/o Thavra Ninama Bheel, Resident Of
Village Sompur, Tehsil Ghatol, Police Station Bhungara,
District Banswara.

-----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. J.V.S. Deora
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. R.S. Bhati for R-2

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

05/05/2026

01. इस मामले में तामील पूर्ण हो चुकी है।
02. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा
483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना **भुंगड़ा**, जिला **बांसवाड़ा** में दर्ज प्रथम
सूचना रिपोर्ट संख्या **141/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **137(2), 87, 127(4), 64(2)(एम)**
भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा
किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
03. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है
कि इस मामले में चालान पेश हो गया है। पीड़िता ने स्वयं अपने 183 बी.एन.एस.एस. के
बयान में यह कहा है कि वह प्रार्थी-अभियुक्त के साथ शादी करना चाहती थी। एक
माह गोविंद के साथ उसके घर पर रही थी। गोविंद ने उसे पत्नी बनाकर रखा, जो
संबंध बने, वे आपसी सहमति से बने। जब पीड़िता के पिता को इसका पता चला तो
उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। पीड़िता के पिता के साथ बाजगड़ा 2,10,000/-

रुपये में हुआ था। रुपये नहीं दिये, इसलिये रिपोर्ट कर दी। वह गोविंद के साथ ही शादी करना चाहती है। इस आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता के 183 बी.एन.एस.एस. के बयान पर विचार किया गया।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **गोविन्द पुत्र ज्योती** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J